

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 03 / बी-121 / 2015-16

: आदेश ::

(आज दिनांक 07 / 10 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 29.09.2015 को घटनास्थल ग्राम जाम्बुखेडा तहसील जोबट में सड़क दुर्घटना होने से नुरसिंह पिता मोहनसिंह आमलियर निवासी ग्राम उमरादरा तहसील मेघनगर गंभीर रूप से घायल होने पर डाक्टररी रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 7,500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर घायल नुरसिंह पिता मोहनसिंह आमलियर निवासी ग्राम उमरादरा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7,500/- (सात हजार पाँच सौ) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

Std
(शेखर वर्मा)

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 919 / रीडर / 2015
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक..... 07/10/2015

- 1-कलेक्टर (राहत शाखा) झाबुआ ।
- 2 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 3 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 4 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 6 तहसीलदार तहसील जोबट
- 7 पीड़ित.नुरसिंह पिता मोहनसिंह आमलियर ग्राम उमरादरा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ

Std
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर